Gen. No. 13

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 87/2017** (RCMS **2017/00164**) **डी.सी..बी बैंक लिमिटेड** पता एस–5, सैकिण्ड फ्लौर, गीजगढ टावर, हवा सडक, सिविल लाईन, जयपुर (राज.) डिप्टी मैनेजर सिद्धर्थ सिंह बनाम **1. गोपीराम** पुत्र मातुराम **2. श्रीमती कमला** पत्नी गोपीराम **3. रोहित कुमार** पुत्र गोपीराम **निवासी 297–ख, मुख्य मार्ग, 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर एवं** किला नं. 19, एस.क्यू. नं. 22, चक 6 ई छोटी, **श्रीगंगानगर**

02.03.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री पूर्णराम घोडेला ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण गोपीराम, कमला एवं रोहित कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 3.00 लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अप्रार्थी कमला की सम्पत्ति प्लॉट 297–ख, मुख्य मार्ग, 6 ई छोटी, किल्ला नं. 19, एस.क्यू. नं. 22, श्रीगंगानगर–335001 को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 01.04.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 01.04.2017 को कुल 03,07,274/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 21.04.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया जिसकी तामील अप्रार्थीगण पर हो चुकी है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए ऋणी अप्रार्थी कमला की सम्पत्ति प्लॉट 297–ख, मुख्य मार्ग, 6 ई छोटी, किल्ला नं. 19, एस.क्यू. नं. 22, श्रीगंगानगर–335001 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों गोपीराम, कमला एवं रोहित कुमार को 3.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति 30.09.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कमला पत्नी गोपीराम की सम्पत्ति प्लॉट 297—ख, मुख्य मार्ग, 6 ई छोटी, किल्ला नं. 19, एस.क्यू. नं. 22, श्रीगंगानगर—335001 जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 01.04.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 21.04.2017 को जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर डाक से भिजवाया गया है एवं धारा 13(2) के नोटिस गोपीराम एवं रोहित कुमार की प्राप्ति रसीद पर रोहित कुमार के हस्ताक्षर है, एवं अप्रार्थी कमला की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे अप्रार्थी गोपीराम एवं कमला के धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना प्रतीत नहीं होता है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पत्ति प्लॉट 297—ख, मुख्य मार्ग, 6 ई छोटी, किला नं. 19, एस.क्यू. नं. 22,श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.04.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 21.04.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण ऋणियों गोपीराम, कमला एवं रोहित कुमार के नाम जारी किये गये है, जिसकी पोस्ट ऑफिस की नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी रोहित कुमार की पावती रसीद पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर है और गोपीराम की रसीद पर भी रोहित कुमार के ही हस्ताक्षर है एवं अप्रार्थी कमला की पावती रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिस कारण अप्रार्थी गोपीराम एवं कमला की धारा 13(2) के नोटिस की तामिल नहीं होने के कारण बैक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2017 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर